भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3646
24 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधि

3646. श्रीमती ममता ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत आवंटित, जारी और उपयोग किए गए धनराशि का वर्ष-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
(ख) पिछले पाँच वर्षों के दौरान एनएचएम के अंतर्गत लंबित बकाया राशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): समान, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध करने के उद्देश्य से, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचडब्ल्यू) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) को लागू कर रहा है। सरकार विशेष रूप से अल्पसेवित और उपेक्षित समूहों के लिए स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा-केंद्रों के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत और व्यय का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य राज्य से संबंधित विषय है, इसलिए देश के सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं और भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के अभिलेख (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को मंजूरी देती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निधियां, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा इस संबंध में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन जारी की जाती है।

अनुलग्नक

वित्त वर्ष **2020-21** से वित्त वर्ष **2024-25** तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार केंद्रीय निर्गत एवं व्यय

करोड़ रूपये में

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	36.91	42.68	43.68	31.20	45.26	42.28	37.84	40.71	49.99	44.41
2	आंध्र प्रदेश	1,097.81	2,385.48	1,199.37	2,448.67	1,489.45	1,914.34	1,096.01	2,833.44	1,319.61	2,439.82
3	अरुणाचल प्रदेश	243.04	209.06	188.53	248.51	233.82	424.78	404.55	399.44	388.86	472.93
4	असम	1,807.48	1,846.86	1,955.93	2,194.36	1,981.83	2,307.00	2,257.06	2,626.87	2,076.25	2,607.54
5	बिहार	1,814.63	2,415.34	1,748.76	1,905.35	1,586.57	3,717.81	2,032.95	4,010.97	2,367.18	4,466.31
6	चंडीगढ़	22.21	19.52	17.47	26.86	38.09	26.98	30.58	31.85	43.43	37.29
7	छत्तीसगढ़	979.41	1,521.30	969.61	1,833.45	1,195.08	2,152.45	875.80	1,743.79	969.11	1,784.09
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव	36.39	35.74	38.59	45.02	58.28	41.61	39.92	41.96	40.96	40.47
9	दिल्ली	125.73	210.83	127.37	237.79	35.15	298.11	150.54	338.41	240.39	365.44
10	गोवा	34.81	67.43	26.01	60.56	55.42	84.64	48.97	84.53	55.06	95.17
11	गुजरात	1,005.66	1,894.46	1,094.48	1,835.81	1,120.06	2,292.35	1,506.96	4,040.00	1,324.86	3,198.15
12	हरियाणा	531.50	829.12	577.07	879.91	681.21	1,185.43	524.01	1,221.41	562.49	1,127.06
13	हिमाचल प्रदेश	441.94	425.58	555.09	525.09	494.65	567.83	470.36	629.76	523.70	654.52
14	जम्मू एवं कश्मीर	667.46	657.53	459.10	779.61	651.52	917.02	805.22	956.95	1,040.76	1,110.30
15	झारखंड	602.80	999.71	640.18	1,176.55	810.30	1,495.17	958.06	1,992.91	964.31	1,986.59
16	कर्नाटक	1,232.19	2,320.37	1,274.71	2,200.92	1,246.67	2,376.94	1,187.60	2,741.98	1,295.81	2,478.23
17	केरल	788.22	1,457.75	771.47	1,230.96	1,036.76	1,592.96	189.15	1,246.25	1,351.78	1,422.88
18	लद्दाख	91.89	38.56	44.79	62.81	94.95	109.67	120.44	119.67	135.98	150.50
19	लक्षद्वीप	7.11	6.99	8.41	7.26	9.97	9.29	3.79	7.10	9.68	10.00
20	मध्य प्रदेश	2,377.14	3,397.82	2,295.66	3,714.92	2,582.10	4,489.15	2,545.68	5,202.61	2,430.91	5,225.77
21	महाराष्ट्र	1,833.59	3,503.62	1,769.67	4,227.31	2,187.13	4,501.75	2,729.30	5,001.70	2,417.95	4,364.86
22	मणिपुर	189.49	112.79	95.59	154.09	61.40	214.69	169.12	159.32	279.16	295.79

23	मेघालय	202.63	213.36	282.46	227.08	261.56	319.08	261.39	305.83	297.95	393.01
24	मिजोरम	143.73	131.36	93.82	153.16	111.82	135.33	134.42	179.84	159.96	174.67
25	नागालैंड	188.21	159.72	126.66	192.16	91.38	161.93	184.84	196.69	204.47	243.60
26	ओडिशा	1,617.63	2,347.24	1,263.07	2,587.72	1,284.69	3,402.50	1,901.77	3,356.68	1,916.79	3,585.01
27	पुदुचेरी	25.55	47.32	21.33	46.36	20.73	48.51	30.80	45.74	26.27	49.27
28	पंजाब	568.14	908.98	349.21	918.96	448.89	1,054.39	91.49	1,428.94	878.21	1,027.72
29	राजस्थान	2,000.58	2,943.21	1,924.95	3,230.01	1,460.80	3,726.21	2,785.46	4,350.63	2,398.62	4,772.33
30	सिक्किम	70.13	52.06	51.86	46.06	73.30	88.69	68.17	75.77	81.67	89.59
31	तमिलनाडु	1,522.71	2,172.33	1,631.91	3,039.39	1,652.24	3,191.84	1,996.06	3,104.16	1,742.67	3,461.74
32	तेलंगाना	671.88	1,354.93	725.67	1,556.65	683.77	2,062.93	564.93	1,288.75	1,110.43	1,872.42
33	त्रिपुरा	225.91	249.74	217.95	237.24	231.90	287.20	264.31	309.62	268.67	279.35
34	उत्तर प्रदेश	3,772.95	7,080.45	3,235.46	6,210.20	5,133.59	8,828.29	4,928.14	10,572.60	5,853.43	10,377.16
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**2020-21**		**2021-22**		**2022-23**		**2023-24**		**2024-25**	
		केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय	केंद्रीय निर्गत	व्यय
35	उत्तराखंड	583.25	503.53	553.47	606.07	505.01	647.13	711.33	709.79	604.05	760.15
36	पश्चिम बंगाल	1,895.01	2,598.62	1,654.26	2,229.46	1,252.32	3,509.86	890.42	3,641.98	688.44	3,583.07

नोट:

1) उपरोक्त जारी की गई निधियां केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों से संबंधित हैं और इनमें राज्य सरकार का अंशदान शामिल नहीं है।

2) व्यय में केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई निधि, राज्य सरकार द्वारा जारी की गई निधि और वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष शामिल है। व्यय राज्यों/**संघ राज्य क्षेत्रों** द्वारा प्रस्तुत की गई एफएमआर के अनुसार है और यह अनंतिम है।

3) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात केंद्रिय आवंटन की कोई प्रासंगिकता नहीं है।
